

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:- डॉ० अरुण गर्ग  
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 360/2025

श्री मदनलाल मीणा पुत्र श्री गोकुलराम मीणा, रोलाहेडा रोड, सुभाष कालोनी, चन्देरिया, तहसील व  
जिला चित्तौडगढ़, पिन कोड 312021, मो०न० 9521794351

बनाम


लोक सूचना अधिकारी ( अति० जिला कलक्टर ) झुंझुनूं ।

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील।

आदेश

दिनांक 11.09.2025


1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी ( अपीलार्थी ) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 01.09.2025 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 360/2025 पर दिनांक 01.09.2025 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी ( अति० जिला कलक्टर ) झुंझुनूं के विरुद्ध पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी ( अति० जिला कलक्टर ) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी ( अति० जिला कलक्टर ) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2022/4062-63 दिनांक 01.09.2025 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी ( अति० जिला कलक्टर ) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16( 4 )( 5 )न्याय /सू०अ०/2025 /1113 दिनांक 09.09.2025 द्वारा अवगत कराया है कि अपीलार्थी श्री मदनलाल मीणा पुत्र श्री गोकुलराम मीणा, रोलाहेडा रोड, सुभाष कालोनी, चन्देरिया, तहसील व जिला चित्तौडगढ़ का आवेदन पत्र इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 16( 4 )( 5 )न्याय/सू०अ०/2025/240 दिनांक 11.07.2025 के द्वारा प्रभारी अधिकारी, भू० अभिलेख अनुभाग, कलेक्ट्रेट, झुंझुनूं को नियमानुसार प्रार्थी को सूचना सूचना उपलब्ध करवाये जाने हेतु पत्र लिखा गया है जिसके संबंध में प्रभारी अधिकारी, भू० अभिलेख अनुभाग, कलेक्ट्रेट, झुंझुनूं ने अपने पत्र क्रमांक 6770 दिनांक 10.08.2025 के द्वारा अपीलार्थी को बिन्दू संख्या 1 लगायत 3 तक की नकले तैयार कर उक्त नकलों का निर्धारित प्रतिलिपि शुल्क राशि 135/- रुपये नकल टिकिट भिजवाये जाने हेतु पत्र लिखा गया था लेकिन अपीलार्थी द्वारा प्रतिलिपि शुल्क जमा नहीं करवाया गया है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी ( अति० जिला कलक्टर ) झुंझुनूं द्वारा पत्रांक एफ 16( 4 )( 5 )न्याय /सू०अ०/2025 /1113 दिनांक 09.09.2025 द्वारा अवगत कराया है कि अपीलार्थी श्री मदनलाल मीणा पुत्र श्री गोकुलराम मीणा, रोलाहेडा रोड, सुभाष कालोनी, चन्देरिया, तहसील

  
जिला कलक्टर झुंझुनूं

व जिला चित्तौड़गढ़ का आवेदन पत्र उनके कार्यालय को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध में उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 16(4)(5) न्याय/सू0अ0/2025/240 दिनांक 11.07.2025 के द्वारा प्रभारी अधिकारी, भू0 अभिलेख अनुभाग, कलेक्ट्रेट, झुंझुनूं को नियमानुसार प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाये जाने हेतु पत्र लिखा गया है जिसके संबंध में प्रभारी अधिकारी, भू0 अभिलेख अनुभाग, कलेक्ट्रेट, झुंझुनूं ने अपने पत्र क्रमांक 6770 दिनांक 10.08.2025 के द्वारा अपीलार्थी को बिन्दू संख्या 1 लगायत 3 तक की नकले तैयार कर उक्त नकलों का निर्धारित प्रतिलिपि शुल्क राशि 135/- रुपये नकल टिकिट भिजवाये जाने हेतु पत्र लिखा गया था लेकिन अपीलार्थी द्वारा प्रतिलिपि शुल्क जमा नहीं करवाया गया है। चूंकि प्रार्थी द्वारा प्रतिलिपि शुल्क जमा नहीं कराया गया है जिसके कारण प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।

7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते हैं।

आदेश आज दिनांक 11.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
( डॉ० अरुण गर्ग )  
जिला कलेक्टर झुंझुनूं